THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (e) Provisions of the Uruguay Round Agreements do not apply directly but are to be given effect to through national legislation by the member-states. Legislation is being drafted which will incorporate the scope of coverage and the rights of the farmers, researchers and plant breeders.

"गैट" समझौते में विश्व पेटेंट कानून

6301. **श्री अनन्त राम जायसवाल :**

श्रीमती सरला माहेश्वरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गैट" समझौते में विहित भौतिक सम्पदा अधिकारों (पेटेन्ट, व्यापार चिन्ह, प्रतिलिप्याधिकार आदि) के संबंध में विश्व पेटेन्ट कानून की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है तथा यह किन-किन मुद्दों पर वर्तमान भारतीय पेटन्ट कानून से भिन्न है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों पर "गैट" पेटेन्ट कानूनों का अलग-अलग क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि "गैट" वार्ताओं में विश्व पेटेन्ट कानून के प्रारूप तथा इसके उपबन्धों को शामिल किये जाने के प्रति भी भारत शुरू से ही आपत्ति प्रकट करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ख) ट्रिप्स करार में अन्य बातों के साथ-साथ पेटेन्ट भी कवर होते हैं और यह भारतीय पेटेंट अधिनियम से मुख्यतया जिन मामलों में भिन्न होते हैं : पेटेंटिंग के कार्य क्षेत्र प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्र उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत आते हैं) : पेटेंट की अवधि (20 वर्ष) तथा अनिवार्य लाइसेंसिंग (अधिकार के आटोमेटिक लाइसेंस इसमें शामिल नहीं हैं और अनिवार्य लाइसेंसों को प्रदान करने में शर्तें लगी हैं) पौध किस्मों को पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु इन्हें स्वतः अद्वितीय प्रणाली के जरिए संरक्षित किया जा सकता है। इसके कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। उद्योग का केवल वही भाग प्रभावित होगा जो अन्यत्र पंजीकृत पेटेंटों पर आधारित रिवर्स इंजीनियरी उत्पादों पर निर्भर है, परन्तु इस भाग को भी संक्रमण अवधि में सुरक्षा-व्यवस्था या कुशन प्रदान किया जाएगा।

भारत ने ट्रिप्स करार की वार्ता में सक्रिय भाग लिया और ऐसा करने में भारत का उद्देश्य यह था कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार धारक के अधिकारों तथा लोकहित के सरोकारों के बीच संतुलन प्राप्त किया जाए।

"गैट" समझौते में अन्तर्विष्ट उदारीकरण, सीमाशल्क, विदेशी पूंजी संबंधी उपबंधों का क्रियान्वयन

6302. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**

श्रीमती सरला माहेश्वरी:

श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "गैट" समझौते में अंतर्विष्ट उदारीकरण, सीमाशुल्क, विदेशी पूंजी निवश उपायों तथा सेवा व्यापार से संबंधित प्रावधानों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त क्रियान्वयन को आरम्भ करने के संबंध में संयुक्त-राज्य अमरीका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ पूर्व मंत्रणा की गई थी; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;